संख्या– 4001 / 1–10––33(160) / 2010

प्रेषक,

के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
विजनौर।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2011**

विषय : वर्ष 2010 की बाढ़ में लगाए गए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद विजनौर में आयी बाढ़ के समय जनपद में सर्वे हेतु लगाए गए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्यासा में रू0 6,51,000/– (रूपये छः लाख इक्यावन हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय वर्ष 2010 में जनपद विजनौर में आयी बाढ़ के समय जनपद में लगाए हेलीकाप्टर के किराए के भुगतान पर नियमानुसार की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी, विजनौर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

क्रम:–2– पर

मैन तारा जी

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/ 1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http/rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्न मूलरूप में बिल

(के0 के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत

संख्या––4001 /1–10––33(160)/2010, दिनांक दि0.12 .01.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

9. महालेखाकार– प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
10. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
11. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
12. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, विजनौर।
13. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
14. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11।
15. श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआईसी को राहत वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

12/01/2011

(के0 के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत